



# छत्तीसगढ़ विधानसभा

## पत्रक भाग-एक संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा

द्वादश सत्र

अंक-23

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013  
(फाल्गुन-29, शक संवत् 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।  
(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 एवं 06 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री धर्मजीत सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 7 तारांकित एवं 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने -

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012,
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012,
- (3) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012, एवं
- (4) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सप्तम वार्षिकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011-2011, **पटल पर रखे।**

### 4. ध्यानाकर्षण सूचना

- (1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने प्रदेश में महानदी पर बैराजों के निर्माण किये जाने में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

- (2) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने जिला-सूरजपुर, नवापारा में एस.ई.सी.एल.द्वारा संचालित खदान के प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

- (1) श्री मोहम्मद अकबर
- (2) श्री ताम्रध्वज साहू
- (3) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
- (4) श्री विरेन्द्र कुमार साहू
- (5) डॉ. हरिदास भारद्वाज
- (6) श्री अमरजीत भगत
- (7) डॉ.शक्राजीत नायक
- (8) श्री देवजी पटेल
- (9) श्री खेदूराम साहू

## 6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री राजू सिंह ठाकुर, सभापति ने याचिका समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

## 7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार श्री दूरराम बौद्ध, सदस्य की याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

## 8. शासकीय विधि विषयक कार्य

### (1) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

**(2) छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013**  
**(क्रमांक 5 सन् 2013)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

**(3) छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013**  
**(क्रमांक 6 सन् 2013)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, दूजराम बौद्ध, परेश बागबाहरा एवं डॉ.शिवकुमार डहरिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013)) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

**(4) छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013)**

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

**(5) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013**  
**(क्रमांक 15 सन् 2013)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013 ) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013 ) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

**(6) छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013)**

श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री देवजी पटेल ।

श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 8 सन् 2013) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

**(7) छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013)**

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-  
श्री ताम्रध्वज साहू,

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)**

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.हरिदास भारद्वाज (जारी)

**(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)**

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)**

डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.सुभाऊ कश्यप, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री लेखराम साहू, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, अमरजीत भगत, डॉ.शिवकुमार डहरिया,

**(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)**

श्री रामदयाल उइके, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)**

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 20 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

### 9. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

श्री भोलाराम साहू, सदस्य ने दिनांक 18 मार्च, 2013 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-7 (क्रमांक-2634) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा उठायी।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

**सायं 5.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 30 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।**

देवेन्द्र वर्मा  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा